चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत आज दिनांक 17.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थाना सरधुवा की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा कस्बा सरधुवा में, थाना बहिलपुरवा की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा पुराना बहिलपुरवा,रेलवे स्टेशन एवं थाना मारकुण्डी की एण्टीरोमियों टीम द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के अलावा जागरुकता हेतु चलाए जा रहे अभियानों के बारे में सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 17.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी शाकिर अली द्वारा अभियुक्त कल्लू यादव पुत्र रामलाल यादव निवासी डांडी मजरा रुकमा खुर्द थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). आज दिनाँक 17.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये

(5). अपर पुलिस महानिदेशक यूपी0-112 मुख्यालय लखनऊ के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी नोडल अधिकारी डायल-112 चित्रकूट व प्रभारी डायल-112 निरीक्षक श्री शम्भू दयाल मौर्य के पर्यवेक्षण में श्रीमंत देवराज क्रिएशन कानपुर की नुक्कड़ नाटक टीम द्वारा उ0नि0 श्री आशुतोष सिंह भदौरिया के नेतृत्व में आज दिनाँक 17.10.2024 को जिलाधिकारी कार्यालय सोनेपुर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनेपुर तथा निर्मोही अखाड़ा सीतापुर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।

इस दौरान नुक्कड़ नाटक टीम के कलाकारों द्वारा आम जनमानस को आपातकाल की स्थिति में त्वरित सहायता हेतु तत्काल डायल-112 पर कॉल करने हेतु जागरुक किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के नाटक प्रस्तुत किये गये जैसा कि यदि किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना होती है तो तत्काल उसे अस्पताल भेजें न कि वीडियो बनायें या फिर तत्काल 112 डायल करें, किसी भी कार्यालय में यदि किसी महिला का उनके उच्चाधिकारी द्वारा उत्पीड़न किया जात है तो तत्काल 112 डायल करें, यदि किसी घर में पति के द्वारा महिला के साथ मारपीट की जाती है तो ऐसी स्थिति में तत्काल 112 डायल करें।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में थाना पहाड़ी पुलिस ने 05 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया ।

(i). वरि0उ0नि0 श्री मनीष कुमार तथा उनकी टीम उ0नि0 श्री सनी कुमार चुतुर्वेदी,उ0नि0 अरमान आलम, मुख्य आरक्षी चालक कृष्ण पाल, आरक्षी शुबम द्विवेदी, आरक्षी आनन्द प्रताप सिंह द्वारा मु0अ0स0-185/24 धारा 115(2),110,117(2),131 बीएनएस के वांछित अभियुक्त गिरफ्तार 1. मोहित पुत्र जीत लाल सरोज ग्राम खपराही थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ 2.विजय यादव पुत्र नीमर यादव 3. श्यामू यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासीगण जवाई बसंतगंज थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ 4.छेदी उर्फ विकास सरोज पुत्र गंसीलाल सरोज निवासी ग्राम वीरसिंह पुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री सनी कुमार चतुर्वेदी तथा उनके हमराही आरक्षी आनंद प्रताप सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0-176/24 धारा 137(2),64 बीएनएस व 04 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त कुलदीप बलवान यादव निवासी ग्राम कुनहैटा थाना विंवार जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस

अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला तथा उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्रकूट श्री विकास कुमार प्रथम द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं 102/2022 धारा 302 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त बाबूलाल उर्फ बबुलिया पुत्र स्व0 बबलू रैदास निवासी ग्राम बांधी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 20.06.2022 को वादी श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 बहोरी रैदास निवासी बांधी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा थाना रैपुरा में सूचना थी कि मेरे भाई बाबूलाल उर्फ बबुलिया उपरोक्त ने मेरी पत्नी कुसमा के गर्दन में कुल्हाड़ी से वार किया जिससे वह घायल हो गयी तथा अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। सूचना पर थाना रैपुरा में में मु0अ0सं 102/2022 धारा 302 भादवि0 बनाम बाबूलाल उर्फ बबुलिया उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालनी थानाध्यक्ष रैपुरा श्री राकेश मौर्य द्वारा की गई। विवेचक द्वारा आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 15.09.2022 को आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस ने अपहरण के 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि वादी श्री अभिलाष सिंह पुत्र छोटेलाल उर्फ छोटा निवासी कोठिलिहाई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतावाली कर्वी में सूचना दी कि मेरा पुत्र अभ्यूदय उर्फ रोशन सिंह उम्र 20 वर्ष दिनाँक 08.10.2024 से गायब है जिसके सम्बन्ध में मैने थाना कोतवाली कर्वी में गुमशुदगी दर्ज करायी थी। मैने काफी खोजबीन की तो पता चला कि प्रिया सिंह पुत्री गजाधर सिंह निवासी ग्राम बरगढ़ थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट हाल पता पुरानी पीएचसी मऊ थाना मऊ जनपद चित्रकूट तथा अंकित पुत्र बुद्धराज निवासी अम्बेडकर नगर कस्बा मऊ थाना मऊ जनपद चित्रकूट के साथ मिलकर साजिस के तहत प्रिया सिंह ने मेरे लड़के को फोन के माध्यम से बुलाकर उक्त दोनों लोगों ने मिलकर मेरे लड़के अभ्युदय सिंह उर्फ रोशन सिंह का अपहरण कर मारपीट कर गायब कर दिया है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 648/2024 धारा 140(1) बीएनएस बनाम प्रिया सिंह व अंकित उपरोक्त पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी द्वारा मुकदमें की विवेचना एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम को निर्देशित किया गया।

उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम तथा उनकी टीम द्वारा आज दिनाँक 17.10.2024 को अभियुक्ता प्रिया सिंह पुत्री गजाधर सिंह निवासी ग्राम बरगढ़ थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट हाल पता पुरानी पीएचसी मऊ थाना मऊ जनपद चित्रकूट तथा अंकित पुत्र बुद्धराज निवासी अम्बेडकर नगर कस्बा मऊ थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम थाना कोतवाली कर्वी

2. आरक्षी नीतू द्विवेदी

3.आरक्षी राहुल देव

4.आरक्षी अंजली